

11.6.2024 वडुलार फरिबेन उपण। वडी एवं जतिवारी सं.
2 लाख कवाना नही न्याहते असलिये राज्य बन्ड बिक्री
जावेई। पत्रावली बाबते वसत डाकडा लाठ 11.6.2024
को रखा हो।
०१

11.6.2024 वडुलार फरिबेन उपलित। वसत पुनी
घडी। पत्रावली का अवरबोकन क्रिया गया। पत्रावली
पर उपलब्ध क्रियाई एवं अलियाई सं. 2 के अऊंर वलेम
पर वडी वडी की सहमती धारि 6 लाख पर
अलियाई सं. 2 का अऊंर वलेम डिडी क्रिया
जाता है वृत्त क्रियाएण सहित निर्णय कालग है
क्रियाया जाकर शामिल फरिल क्रिया जावे।
पत्रावली नम्बर ले का की जाकर राखिल
वकतर हो।
०१

विभागीय केन्द्रपर वडी
सुपरवाइजर जतिवारी
सुपरवाइजर



डिक्री बमुकदमें ईबतदाई
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठारीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :-117/2023 अन्तर्गत धारा 53,188 आरटीएक्ट

बादशाह पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी चक 22 आर.डब्ल्यू.डी. नेहरावाली ढाणी
तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़,राज0।

-वादी

बनाम

1. मांगीलाल पुत्र पूर्णाराम जाति जाट निवासी सरदारपुरा खालसा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़,राज0।
2. राजाराम पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी सरदारपुरा खालसा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़,राज0।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार(राजस्व)रावतसर जिला हनुमानगढ़,राज0।

-प्रतिवादीगण

उपस्थित:- श्री दुलीचन्द अठवाल वकील-वादी
श्री सरजीतसिंह वकील प्रतिवादी सं. 2
राजपेरोकार प्रतिवादी सं. 3

निर्णय दिनांक- 11-06-2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष उपरोक्त अभिभाषकगण की उपस्थिति में घोषणा की जाती है कि:-

1. वादी बादशाह पुत्र ओमप्रकाश को चक नम्बर 8 के.एम. के पत्थर नम्बर 214/403 (14) के किला नम्बर 7 की 0.2530 हैक्टेयर, किला नम्बर 14 की 0.0315 हैक्टेयर, किला नम्बर 13 की 0.0315 हैक्टेयर, किला नम्बर 8 की 0.0950 हैक्टेयर = 0.4110 हैक्टेयर अनकमाण्ड कृषि भूमि, चक नम्बर 23 आर.डब्ल्यू.डी. के पत्थर नम्बर 223/417(2) के किला नम्बर 18-23 की 0.5060 हैक्टेयर, किला नम्बर 13 की 0.1265 हैक्टेयर = 0.6325 हैक्टेयर कमाण्ड कृषि भूमि, चक नम्बर 22 आर.डब्ल्यू.डी. के पत्थर नम्बर 223/416(31) के किला नम्बर 23/2 की 0.2020 हैक्टेयर, किला नम्बर 18 की 0.1520 हैक्टेयर = 0.3540 हैक्टेयर कमाण्ड कृषि भूमि का,
2. प्रतिवादी संख्या 1 मांगीलाल को चक नम्बर 8 के.एम. के पत्थर नम्बर 214/403(14) के किला नम्बर 3 की 0.2530 हैक्टेयर, किला नम्बर 8 की 0.1580 हैक्टेयर = 0.4110 हैक्टेयर अनकमाण्ड कृषि भूमि, चक नम्बर 23 आर.डब्ल्यू.डी. के पत्थर नम्बर 223/417(2) के किला नम्बर 3-8 की 0.5060 हैक्टेयर, किला नम्बर 13 की 0.1265 हैक्टेयर = 0.6325 हैक्टेयर कमाण्ड कृषि भूमि व चक नम्बर 22 आर.डब्ल्यू.डी. के पत्थर नम्बर 223/416 (31) के किला नम्बर 13 की 0.2530 हैक्टेयर, किला नम्बर 18 की 0.1010 हैक्टेयर = 0.3540 हैक्टेयर कमाण्ड कृषि भूमि का,
3. प्रतिवादी संख्या 2 राजाराम को चक नम्बर 8 के.एम. के पत्थर नम्बर 214/403(14) के किला नम्बर 15 की 0.2530 हैक्टेयर, किला नम्बर 14 की 0.2215 हैक्टेयर, किला नम्बर 13 की 0.2215 हैक्टेयर, किला नम्बर 18/2 की 0.1260 हैक्टेयर = 0.8220 हैक्टेयर

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर



अनकमाण्ड कृषि भूमि, चक नम्बर 23 आर.डब्ल्यू.डी. के पत्थर नम्बर 223/417(2) के किला नम्बर 4, 7, 14, 17, 24 की 1.2650 हैक्टेयर कमाण्ड कृषि भूमि व चक नम्बर 22 आर.डब्ल्यू.डी. के पत्थर नम्बर 223/416(31) के किला नम्बर 14-17 की 0.5060 हैक्टेयर, किला नम्बर 24/2 की 0.2020 हैक्टेयर 0.7080 हैक्टेयर कमाण्ड कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करेंगे।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 11-06-2024 को जारी की गई।

(संजय कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सपरखण्ड अधिकारी
रावतसर
रावतसर